कार्यवृत्त

मंगलवार, 07 चैत्र, शक संवत्, 1940
(दिनांक : 20 मार्च, 2018)

खण्ड–50
अंक–1

विधान सभा का कार्य सभा मण्डप, गैरसैण में दिन के 3:00 बजे श्री अध्यक्ष की अध्यक्षता में राष्ट्रीय गीत ''वन्दे मातरम्'' के साथ आरम्भ हुआ।

श्री अध्यक्ष द्वारा श्री राज्यपाल के अभिभाषण का पाठ पढ़ा गया।

श्री अध्यक्ष ने सूचित किया कि कार्य–मंत्रणा समिति ने दिनांक 20 मार्च, 2018 की बैठक में दिनांक 21 मार्च, 2018 से 24 मार्च, 2018 तक के उपवेशनों का कार्यक्रम निम्नलिखित रूप में रखे जाने की सिफारिश की हैः–

<u>मार्च, 2018</u>

20 मंगलवार

1. माननीय राज्यपाल का अभिभाषण (पूर्वाह्न 11.00 बजे)
2. श्री अध्यक्ष द्वारा माननीय राज्यपाल के अभिभाषण का पाठ (अपराह्न 03.00 बजे)
3. निधन के निदेश।

21 बुद्धवार

1. पत्रादि का सदन के पटल पर रखा जाना।
2. अध्यादेशों का पटल पर रखा जाना।
3. औपचारिक कार्य।
4. माननीय राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का प्रस्तुतीकरण एवं चर्चा।
5. विधायी कार्य–
   उत्तराखण्ड कृषि उत्पाद मण्डी (विकास एवं विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 2017 पर विचार एवं पारण । (30 मिनट)

22 गुरूवार

1. माननीय राज्यपाल जी के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा एवं पारण।
2. माननीय वित्त मंत्री जी द्वारा वर्ष 2018–19 के आय–व्ययक का प्रस्तुतीकरण। **(अपराह्न 4.00 बजे)**
3. विधायी कार्य।

23 शुक्रवार

1. बजट पर सामान्य चर्चा।
2. असरकारी कार्य–
   <u>वर्तमान सत्र के निम्नलिखित संकल्पों के प्रस्तुतीकरण–</u>

   1. श्री देशराज कर्णवाल, ''इस सदन का सुनिश्चित मत है कि प्रदेश के राजकीय सेवाओं में अनुसूचित जाति/जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्गों के बैक लॉग के पदों पर विशेष अभियान चलाकर यथाशीघ्र नियुक्तियां की जाय''।

2. श्री धन सिंह नेगी, ''इस सदन का सुनिश्चित मत है कि जनपद टिहरी गढ़वाल के अन्तर्गत विकासखण्ड जाखणीधार का भूगोल टिहरी बांध की झील बनने से अव्यवहारिक हुआ है जिसे पुर्नगठन कर मदन नेगी अथवा रजाखेत के नाम से पृथक नया विकासखण्ड बनाये जाने हेतु प्रस्ताव भारत सरकार को भेजा जाय''।

3. काजी मौ0 निजामुद्दीन, ''इस सदन का सुनिश्चित मत है कि उत्तराखण्ड राज्य के गठन के उपरान्त हुए समस्त वित्तीय घोटालों की जांच हाईकोर्ट के सेवारत न्यायधीश से कराई जाय''।

4. श्री नवीन चन्द्र दुम्का ''इस सदन का सुनिश्चित मत है कि विधान सभा क्षेत्र लालकुऑ के अन्तर्गत स्थित बिन्दुखत्ता तहसील लालकुऑ, जिला नैनीताल, एवं अन्य खत्तों व ऐसे अन्य गांवों जो वन भूमि पर बसे है, में निवास कर रहे नागरिकों को मूल अधिकार प्रदान करने के लिए ऐसे सम्बंधित समस्त क्षेत्रों को राजस्व गांव बनाया जाय''।

5. श्रीमती ममता राकेश, ''इस सदन का सुनिश्चित मत है कि जनपद हरिद्वार के विधान सभा क्षेत्र भगवानपुर में मेडिकल कालेज की स्थापना हेतु निर्माण कार्य शीघ्रातिशीघ्र आरम्भ किया जाय''।

<u>वर्तमान सत्र के नियम-105 के प्रस्ताव</u>

1. श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य विधान सभा द्वारा प्रस्तुत नियम-105 के अन्तर्गत निम्नलिखित प्रस्ताव का प्रस्तुतीकरण।

''यह सदन प्रस्ताव करता है कि प्रदेश में स्थापित औद्योगिक ईकाइयों में प्रदेश के बेरोजगार नवयुवकों को रोजगार प्रदान करने में बाहरी प्रदेशों के बेरोजगार युवकों की अपेक्षा अधिक अवसर प्रदान करने पर विचार किया जाये।''

2. श्री प्रीतम सिंह पंवार, सदस्य विधान सभा द्वारा प्रस्तुत नियम-105 के अन्तर्गत निम्नलिखित प्रस्ताव का प्रस्तुतीकरणः-

''यह सदन प्रस्ताव करता है कि प्रदेश में एक कार्य एक टेण्डर के स्थान पर छोटी-छोटी योजनाओं के टेण्डर पर कार्य कराये जाय।''

3. श्रीमती ममता राकेश, सदस्य विधान सभा द्वारा प्रस्तुत नियम-105 के अन्तर्गत निम्नलिखित प्रस्ताव का प्रस्तुतीकरणः-

''यह सदन प्रस्ताव करता है कि बी0डी0 इन्टर कालेज भगवानपुर, हरिद्वार में स्टेडियम निर्माण हेतु जनपद हरिद्वार में निदेशालय के अधिकारियों द्वारा स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त उक्त स्थल मिनी स्टेडियम निर्माण हेतु उपयुक्त पाये जाने के फलस्वरूप स्टेडियम निर्माण कराने पर विचार किया जाय।''

24 शनिवार

1. बजट पर सामान्य चर्चा।
2. विधायी कार्य।
3. सतत् विकास के लक्ष्यों के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा। (दो घंटा)
4. असरकारी कार्य-

विगत सत्र के असरकारी संकल्प

1. श्री सुरेन्द्र सिंह जीना, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 09 जून, 2017 को प्रस्तुत निम्नलिखित असरकारी संकल्प पर चर्चा।
   ''इस सदन का सुनिश्चित मत है कि प्रधानमंत्री सड़क योजना के अन्तर्गत जनसंख्या सम्बन्धी मानकों में और अधिक शिथिलता प्रदान करते हुए, प्रदेश के प्रत्येक गांव/तोकों को सड़क मार्ग से जोड़ा जाय।'' (30 मिनट)

2. श्री चन्दन राम दास, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 09 जून, 2017 को प्रस्तुत निम्नलिखित असरकारी संकल्प पर चर्चा।
   ''इस सदन का सुनिश्चित मत है कि उत्तराखण्ड राज्य शराब व व्यसन मुक्त हो तभी देव भूमि की कल्पना साकार होगी।'' (30 मिनट)

3. श्री शक्ति लाल शाह, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 09 जून, 2017 को प्रस्तुत निम्नलिखित असरकारी संकल्प पर चर्चाः-
   ''इस सदन का सुनिश्चित मत है कि जनपद टिहरी गढ़वाल के अन्तर्गत अवस्थित भिलंगना विकास खण्ड की विषम भौगोलिक स्थिति के दृष्टिगत विकास खण्ड का पुनर्गठन कर पृथक से एक नया ''बाल गंगा विकास खण्ड'' बनाये जाने हेतु प्रस्ताव भारत सरकार को भेजा जाय।'' (30 मिनट)

4. श्री भरत सिंह चौधरी, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 09 जून, 2017 को प्रस्तुत निम्नलिखित असरकारी संकल्प पर चर्चाः-
   ''इस सदन का सुनिश्चित मत है कि लोक निर्माण विभाग के कोर नेटवर्क में राज्य की भौगोलिक परिस्थितियों के आलोक में केन्द्र सरकार से संशोधन का निवेदन किया जाय।'' (30 मिनट)

5. श्री प्रीतम सिंह पंवार, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 08 दिसम्बर, 2017 को प्रस्तुत निम्नलिखित असरकारी संकल्प पर चर्चा :-
   ''देहरादून-मसूरी-सुवाखोली-अलमस-भवान-नगुण (उत्तरकाशी) मोटर मार्ग को नगुण तक तथा देहरादून-मसूरी-कैम्टीफाल-यमुनापुल-नौगांव-बड़कोट-जानकीचट्टी मोटर मार्ग को आलवैदर रोड परियोजना में सम्मिलित किये जाये।''
   (30 मिनट)

6. श्री धन सिंह नेगी सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 08 दिसम्बर, 2017 को प्रस्तुत निम्नलिखित असरकारी संकल्प पर चर्चाः-
   ''इस सदन का सुनिश्चित मत है कि उत्तराखण्ड राज्य में सड़क दुर्घटनाओं व दैवीय आपदा से मारे गये लोगों के आश्रितों को एकमुश्त एक समान धनराशि का प्राविधान होना चाहिए।'' (30 मिनट)

विगत सत्र के नियम-105 के प्रस्ताव

1. श्री सुरेन्द्र सिंह जीना, सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक 12 जून, 2017 को प्रस्तुत नियम-105 के निम्नलिखित प्रस्ताव पर चर्चा :-
   ''गंगा नदी के जल की स्वच्छता अभियान की भांति प्रदेश की सभी नदियों का स्वच्छता अभियान स्वीकृत किया जाय एवं नदियों में निरन्तर प्रवाह बनाये रखने के लिए नदियों को आपस में जोड़ा जाय।'' (30 मिनट)
2. श्री सुरेन्द्र सिंह जीना, सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक 08 दिसम्बर, 2017 को प्रस्तुत नियम-105 के निम्नलिखित प्रस्ताव पर चर्चा :-

"यह सदन प्रस्ताव करता है कि प्रत्येक वर्ष आयोजित होने वाली कैलाश मानसरोवरयात्रा में अन्य प्रदेशों की भांति उत्तराखण्ड के निवासियों की सहभागिता बढ़ाने के लिए प्रदेशवासियों को यह यात्रा निःशुल्क कराने पर विचार किया जाय।" (30 मिनट)

3. श्री प्रीतम सिंह पंवार, सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक 08 दिसम्बर, 2017 को प्रस्तुत नियम-105 के निम्नलिखित प्रस्ताव पर चर्चा :-
"यह सदन भारत सरकार से प्रस्ताव करता है कि गाय को राष्ट्रमाता घोषित किया जाय।" (30 मिनट)

<u>विगत सत्र के नियम-54 की सूचना</u>

श्री सुरेन्द्र सिंह जीना, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 12 जून, 2017 को प्रस्तुत नियम-54 की निम्नलिखित सूचना पर चर्चा-
"प्रदेश में विशेषतः उत्तर प्रदेश की भांति किसानों का ऋण माफ कर दिया जाय।" (30 मिनट)

संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि यह सदन कार्य-मंत्रणा समिति की सिफारिश, जिसकी सूचना माननीय अध्यक्ष द्वारा सदन को दी गई है, से सहमत है। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

स्व0 श्री मगन लाल शाह के निधन पर संसदीय कार्य मंत्री, मा0 मुख्यमंत्री तथा मा0 नेता प्रतिपक्ष ने शोकोद्‌गार व्यक्त किये। निम्नलिखित मा0 सदस्यों ने भी शोकोद्‌गार व्यक्त किये :-

1. श्री सतपाल महाराज
2. श्री मदन कौशिक
3. श्री देशराज कर्णवाल
4. श्री सुरेश राठौर
5. श्री खजान दास
6. श्री चन्दन राम दास
7. श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी
8. श्री महेन्द्र प्रसाद भट्ट
9. श्री मुन्ना सिंह चौहान
10. श्रीमती रेखा आर्य
11. श्री राजकुमार
12. श्री प्रीतम सिंह पंवार
13. श्री भरत सिंह चौधरी
14. श्री विनोद कण्डारी
15. श्री मुकेश कोली

मा0 अध्यक्ष ने भी अपनी शोक संवेदना प्रकट करते हुए कहा कि सदन की भावनाओं को उनके शोक संतृप्त परिवार को पहुँचा दी जायेगी। तत्पश्चात सदन में दो मिनट का मौन रखा गया।

सदन की कार्यवाही 04 बजकर 10 मिनट पर अगले दिन 11:00 बजे तक के लिये स्थगित हुई।

जगदीश चन्द्र,
सचिव,
विधान सभा।

स्वीकृत,

प्रेमचन्द अग्रवाल,
अध्यक्ष,
विधान सभा।